न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर

पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह आर.ए.एस

अपील संख्या 115 / 2025 एल आर एक्ट (GCMS No 2025/ 124)

अनवान लालचन्द (मृतक) लिछमा वगैरह बनाम बालकृष्ण, वगैरह

अपील **विरूद्ध आदेश**— अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ विविध प्रकरण सं. 13 / 2007 दिनांक 26.08.2025

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
26.11.2025	अभिभाषकगण उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 09.10.2025 को प्राथमिक आपत्ति बाबत अपील इस अदालत में मैन्टेनेबल नही होने की प्रस्तुत कर अपील को इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक श्री मदन सुरौलिया द्वारा प्राथमिक आपत्ति का औपचारिक जबाव प्रस्तुत करने के स्थान पर प्राथमिक आपत्ति पर बहस सुनने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। श्री विजय कुमार पारीक एडवोकेट ने बहस के दौरान कहा कि उपरोक्त अनुवान की अपील सैक्शन 224 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत इस अदालत मे अपील पेश की है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 224 के तहत इस अदालत में अपील लाई नही करती है। अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष ना ही कोई अपील थी तथा अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा ना ही कोई डिक्री पारित की गई। अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष मात्र कलेक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.12.1985 के आदेश की पालना हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा दिनांक 05.08.1986 पत्र पुनः अतिरिक्त कलेक्टर को लिखा था कि आदेश की पालना की जावे। मात्र प्रशासनिक प्रकरण था इस कारण उक्त अपील गलत पेश की गई । किसी भी स्तर पर सुनवाई नही हो सकती। किसी आदेश के विरूद्व अपील नही है ना ही कोई प्रावधान है। उक्त अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में Rajasthan Tenancy 1955,224 RRD 2008 पृष्ठ 755, RRD 1998 पृष्ठ 84, RRD 2012 पृष्ठ 174, RRD 2009 पृष्ठ 345, RRD 2012 पृष्ठ 685, RRD 1993 पृष्ठ 720, RRD 2002 पृष्ठ 332, RRD 2008 पृष्ठ 227, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया है। अपीलान्ट ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 26.08.2025 के विरूद्व अपील पेश की है वो निर्णय ही है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रप–6) विभाग की जारी अधिसूचना नं. 1 (17) राजस्व–6 / 2019 / 112 दिनांक 17.10.2019 पेश कर उक्त अपील को न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होना बताया। अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, अधिसूचना 2017 से पहले की है जो इस प्रकरण पर लागू नही होती है। उन्होंने रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की आपत्ति खारिज कर प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने का कथन किया। हमने अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया तथा क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर विचार किया गया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 26.08.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण मे अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश की पालना करने हेतु तहसीलदार टिब्बी को पालनार्थ भिजवाया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा –224 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अतः यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण मूल अपील मय दस्तावेज अभिभाषक अपीलान्ट को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। अपीलान्ट चाहे तो सक्षम न्यायालय मे चाराजोई कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस लौटाया जाकर पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	मूल पत्रावली प्राप्त की व दस्तावेज प्राप्त किये Madan Suraliya (मदन सुरौलिया एडवो.) 27/11/25 रिकॉर्ड भेजा 491/10.12.2025